

3- निदेशक पंचायतीराज जनपद स्तर पर पी0एफ0एम0एस0 व प्रियासॉफ्ट के इन्टीग्रेशन से भुगतान के सम्बन्ध में 15 अगस्त, 2019 तक वृहद प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करायें।

4- निदेशक पंचायतीराज जनपदवार दैनिक प्रगति से शासन को अवगत करायेंगे।

5- दिनांक-15 अगस्त, 2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खातों से पी0एफ0एम0एस0 को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाय।

अतः ग्राम पंचायतों की प्रियासॉफ्ट पर अद्यतन दैनिक पुस्तिका बन्द कराकर शत-प्रतिशत डी0एस0सी0 पंजीकरण की कार्यवाही 15 अगस्त, 2019 से पूर्व पूर्ण कराते हुए उपरोक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
A प्रमुख सचिव,

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।